**FORM NO. III**

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत **जिला कलक्टर अलवर** मुकाम **अलवर**

उनवान **श्रीकान्त नाहर** बनाम **सरकार**

किस्म मुकदमा **प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी आर बी एक्ट**

**प्रा0पत्र नम्बर 15/14/2023 दायर दिनांक 17.01.2023**

| तारीख हुक्म | हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 01.02.2023 | पत्रावली आज प्रार्थी वकील के प्रा0पत्र के आधार पर पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पिकअप रजि0 संख्या आर.जे.–32–जी.सी.–4662 को सुपुर्दगी पर दिये जाने बाबत थानाधिकारी थाना तिजारा से अभिशंषा/टिप्पणी ली गयी। थानाधिकारी तिजारा द्वारा पत्रांक 309 दिनांक 20.01.2023 के द्वारा रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि प्रकरण हाजा में जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दगी पर दिये जाने पर मुकामी पुलिस पुलिस को कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस थाना की अभिशंषा के आधार पर जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामे पर दिये जाने हेतु प्रा0पत्र स्वीकार किया जाता है। यदि प्रार्थी 5,00,000/– (शब्देन पांच लाख रूपये मात्र) का सुपुर्दनामा एवं इसी कदर तस्दीकशुदा जमानतनामा पेश करे तथा जब्तशुदा वाहन यदि किसी अन्य प्रकरण में वांछित ना हो तो प्रार्थी को उक्त वाहन सुपुर्दनामे पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी सुपुर्दनामे पर दिये गये वाहन को खुर्द–बुर्द नहीं करेगा, जब भी उक्त वाहन की न्यायालय हाजा अथवा अन्य न्यायालय को आवश्यकता होगी तो वाहन को प्रस्तुत करना होगा। पत्रावली वास्ते पेश करने सुपुर्दनामा/तस्दीकशुदा जमानतनामा पेश करे। पत्रावली पूर्व से नियत दिनांक 07.02.2023 को पेश हो।<br><br>**जिला कलक्टर**<br>**अलवर** | |

01/04/23

प्रार्थी पेश हुआ। कमीशन रिपोर्ट
क्रय निर्धारित राशि के प्रमाणस्वरूप
सुपुर्दनामा पेश किया। जो तस्दीक
कर शामिल पत्रावली किया। एस.एच.ओ. थि
को वाहन सुपुर्दगी पर दिये जाने
अविलम्ब जारी हो। पत्रावली फैसला
नुसार छोड़कर बाद तकमील दफ्तर
दाखिल हो।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)